FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा [illegible] नं. 76 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
20/7/2021	[illegible] महामारी Covid-19 से होने वाले संक्रमण को रोकने हेतु [illegible] जारी गाईड लाईन की पालना [illegible] पेशीयाँ देने पर प[illegible] उपस्थित पीठासी[illegible] में व्यस्त है। [illegible] दिनांक 8-9-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
8-9-21	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन [illegible] उप[illegible] / [illegible] पीठासीन अधिकारी दौरे/[illegible] में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 8-12-21 को पेश हो।	
08.12.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत–सिहोड़ी में पेश हुई। वकील प्रार्थी मय पक्षकार उपस्थित। उपस्थित पक्षकार की पहचान श्री सुन्दर भावरिया सरपंच, ग्राम पंचायत सिहोड़ी के द्वारा की गई। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विड्रा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विड्रा स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] आर0एक्ट को विड्रा कर खारिज किये जाने [illegible] जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] यह निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को ग्राम पंचायत–सिहोड़ी में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के मजमे–ए–आम में सुनाया गया। 08/12/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्प:– सिहोड़ी	[illegible] सरपंच ग्राम पंचायत सिहोड़ी [illegible]